**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2404**

**जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।**

**.....**

**नमामि गंगे परियोजना**

**2404. श्रीमती माला रायः**

**श्रीमती लवली आनंदः**

**श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी की पूर्णतः सफाई कर दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दस वर्षों के दौरान उक्त परियोजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गंगा नदी में औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्वाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं, और

(ङ) क्या देश में अन्य नदियों की सफाई के लिए भी इसी प्रकार की परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) और (ख):** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा गंगा नदी की जल गुणवत्ता निगरानी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 (2019 और 2021 के डेटा) में किए गए मूल्यांकन के आधार पर गंगा नदी पर प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) निम्नानुसार हैं:

क. उत्तराखंड प्रदूषित खंड (बीओडी <3 मिलीग्राम/ली) के अंतर्गत नहीं आता है;

ख. उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद से इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर से ग़ाज़ीपुर - प्राथमिकता श्रेणी V (बीओडी 3-6 मिलीग्राम/लीटर);

ग. बिहार में, बक्सर, पटना, फतवा और भागलपुर के साथ - प्राथमिकता वर्ग IV (बीओडी 6-10 मिलीग्राम/ली);

घ. झारखंड प्रदूषित खंड (बीओडी <3 मिलीग्राम/ली) के अंतर्गत नहीं आता है;

ङ. पश्चिम बंगाल में, बहरामपुर से हल्दिया - प्राथमिकता श्रेणी IV (बीओडी 6-10 मिलीग्राम/ली)।

इसके अलावा, घुलित ऑक्सीजन का मान, जो नदी के स्वास्थ्य का एक संकेतक है, अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों की स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया है और गंगा नदी के लगभग पूरे खंड के लिए नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देने के लिए संतोषजनक है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी की है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 की तुलना में 2023 में बहाल प्रदूषित खंड हैं (क) उत्तराखंड में हरिद्वार से सुल्तानपुर; (ख) उत्तर प्रदेश (यूपी) में संगम के बाद (ए/सी) पांडु नदी, देवमई, फतेहपुर से डलमऊ, रायबरेली तक (ग) यूपी में कड़ाघाट, कौशांबी से धीमी, प्रतापगढ़ तक; (घ) यूपी में प्रयागराज, रसूलाबाद अप-स्ट्रीम (यू/एस) से विंध्याचल (ङ) यूपी में यू/एस वाराणसी से डाउन-स्ट्रीम डी/एस वाराणसी (च) बिहार में बक्सर से भागलपुर और (छ) खगरा पश्चिम बंगाल में बेहरामपुर से सेरामपुर तक।

**(ग):** नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, जनवरी 2025 तक, ₹ 40,121.48 करोड़ की अनुमानित लागत पर कुल 492 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 307 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चालू कर दी गई हैं। स्वीकृत राशि में वर्तमान व्यय के साथ-साथ 17 वर्ष (2 वर्ष निर्माण चरण और 15 वर्ष ओ एंड एम चरण) के जीवन चक्र के साथ प्रदूषण निवारण अवसंरचना के लिए भविष्य की प्रतिबद्धता (वार्षिकी भुगतान / संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय) शामिल हैं।

वर्तमान व्यय के लिए, भारत सरकार ने 2014-15 से मौजूदा वित्तीय वर्ष में 03 मार्च 2025 तक विभिन्न उपायों के लिए बजटीय सहायता के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को ₹19,538.62 करोड़ जारी किए हैं और एनएमसीजी ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजनाओं/उपायों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को ₹18,700.15 करोड़ वितरित किए हैं। परियोजनाओं का वर्षवार विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

**(घ):** एनएमसीजी ने अभी तक सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) की 3 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, अर्थात जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंथर सीईटीपी (4.5 एमएलडी) और मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी)। इनमें से, मथुरा सीईटीपी (6.5 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

इसके अलावा, उद्योगों के प्रदूषण की निगरानी के लिए, 2017 में गंभीर प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण शुरू हुआ। निरीक्षण के सातवें दौर में, 4246 गंभीर प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की सूची बनाई गई है। सभी जीपीआई का निरीक्षण किया गया है। अभी तक, 4000 जीपीआई में से जिन पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है, 2682 जीपीआई अनुपालन कर रहे हैं, 517 अनुपालन नहीं कर रहे हैं, 523 जीपीआई अस्थायी रूप से बंद हैं, और 278 जीपीआई स्थायी रूप से बंद हैं। गैर-अनुपालित (517 जीपीआई) में से, 26 जीपीआई को बंद करने

के लिए नोटिस जारी किया गया है और 491 जीपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 2017 में बीओडी भार 26 टन प्रति दिन (टीपीडी) से घटकर 2023 में 13.73 टीपीडी हो गया है, और अपशिष्ट प्रवाह में लगभग 28.6% की कमी आई है, जो 2017 में 349 एमएलडी से घटकर 2023 में 249.31 एमएलडी हो गया है।

**(ङ):** नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत कार्यकलाप है। नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार, उसका आवश्यक उपचार सुनिश्चित करना, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार, नमामि गंगे कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के माध्यम से गंगा बेसिन में नदियों/सहायक नदियों में प्रदूषण निवारण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

*****

**अनुलग्नक**

**"नमामि गंगे परियोजना" के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2404 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

**नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी की गई राशि तथा एनएमसीजी द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन/कार्यकारी एजेंसियों को वितरित की गई राशि का वर्षवार विवरण (वित्तीय वर्ष 2014-15 से 03 मार्च 2025 तक)**

**करोड़ रूपये में**

| **कार्यक्रम** | **वित्तीय वर्ष** | **भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी धनराशि** | **एनएमसीजी द्वारा संवितरण/जारी राशि** |
|---|---|---|---|
| नमामि गंगे चरण-I | 2014-15 | 326.00 | 170.99 |
| | 2015-16 | 1,632.00 | 602.30 |
| | 2016-17 | 1,675.00 | 1,062.81 |
| | 2017-18 | 1,423.12 | 1,625.01 |
| | 2018-19 | 2,307.50 | 2,626.54 |
| | 2019-20 | 1,553.40 | 2,673.09 |
| | 2020-21 | 1,300.00 | 1,339.97 |
| | **उप-योग (क)** | ***10,217.02*** | ***10,100.71*** |
| नमामि गंगे चरण-II | 2021-22 | 1,900.00 | 1,892.70 |
| | 2022-23 | 2,220.00 | 2,258.98 |
| | 2023-24 | 2,400.00 | 2,396.10 |
| | 2024-25 | 2,801.60 | 2,051.66* |
| | **उप-योग (ख)** | ***9,321.60*** | ***8,599.44*** |
| | **कुल (क+ख)** | **19,538.62** | **18,700.15** |

*** 3 मार्च 2025 तक**

****